

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 334/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/542

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.शम्भूसिंह पुत्र विरदसिंह		1.लालसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति राजपूत
2.कल्याणसिंह पुत्र दीपसिंह		2.जवेरीलाल पुत्र मुकनचंद
3.नरपतसिंह पुत्र दीपसिंह		जाति ओसवाल निवासी असाड़ा
4.नारायणसिंह पुत्र दीपसिंह		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
5.पूंजराजसिंह पुत्र देवीसिंह		3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
6.रतनसिंह पुत्र विरदसिंह		पचपदरा
जाति राजपूत		
निवासी सिमालिया तहसील पचपदरा		

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 22/12/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 437/1 रकबा 18.16 बीघा भूमि जेठाराम पुत्र ताराराम कौम मेगवाल साकिन असाड़ा की खातेदारी में अवस्थित थी। विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 9.08 बीघा भूमि प्रार्थीगण द्वारा जरिए पंजीबद्ध बेचानपत्र दिनांक 24.12.2007 को सप्रतिफल राशि अदा कर खरीद की गई,जिसके पड़ोस उत्तर में खसरा संख्या 438 व 439 का रकबा,दक्षिण में खसरा संख्या 437/1 का शेष रकबा जो श्री लालसिंह का खरीदशुदा है,पूर्व में खसरा संख्या 436 का रकबा व पश्चिम में खसरा संख्या 437/2 का रकबा जिसके आगे डामर रोड़ लगती है,दर्शित अनुसार प्रार्थीगण मौके पर वक्त खरीद काबिज हुआ,जिसके खसरा संख्या 2209/437 कायम हुए। शेष रकबा 9.08 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 व 2




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

द्वारा भी खरीद की गई,जिसके बेचानपत्र मे सेढा पड़ौसी दर्शित अनुरार मौके पवर काविज है। प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि के बेचानपत्र एवं मौका स्थिति अनुरूप तत्कालीन हल्का पटवारी को तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन हल्का पटवारी बेचानपत्र व मौका स्थिति के विपरीत जाकर तरमीम कर दी गई,जिसके कारण प्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि पर विप्रार्थी की तरमीम व विप्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि पर प्रार्थीगण की तरमीम दर्शाई गई है,जिसके कारण पक्षकारान के मध्य आए दिन विवाद की स्थिति पैदा रहती है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 2209/437 व 2212/437 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर मौका पर कब्जा काश्त एवं बेचानपत्र अनुरूप तरमीम दुरूरती करवाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जरिए अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश किया गया। वक्त वहस विप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 437/1 रकबा 18.16 बीघा भूमि जेठाराम पुत्र ताराराम कौम मेगवाल साकिन असाड़ा की खातेदारी मे अवस्थित थी। विवादित भूमि मे से 1/2 हिस्सा अर्थात 9.08 बीघा भूमि प्रार्थीगण द्वारा जरिए पंजीबद्ध बेचानपत्र दिनांक 24.12.2007 को सप्रतिफल राशि अदा कर खरीद की गई,जिसके पड़ौस उत्तर मे खसरा संख्या 438 व 439 का रकबा,दक्षिण मे खसरा संख्या 437/1 का शेष रकबा जो श्री लालसिंह का खरीदशुदा है,पूर्व मे खसरा संख्या 436 का रकबा व पश्चिम मे खसरा संख्या 437/2 का रकबा जिसके आगे डामर रोड़ लगती है,दर्शित अनुसार प्रार्थीगण मौके पर वक्त खरीद काविज हुआ,जिसके खसरा संख्या 2209/437 कायम हुए। शेष रकबा 9.08 बीघा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उसी दिनांक 24.12.2007 को जरिए पंजीबद्ध बेचानपत्र के खरीद किया गया,जिसके पड़ौस उत्तर दिशा मे खसरा संख्या 437/1 का शेष भाग रकबा 9.08 बीघा,जो शंभूसिंह वगैरा द्वारा खरीद किया गया प्लॉट है,दक्षिण दिशा मे खसरा संख्या 435 की खातेदारी भूमि है,पूर्व दिशा मे खसरा संख्या 436 का रकबा व दक्षिण दिशा मे खसरा संख्या 437/2 का रकबा जिसके आगे डामरा रोड़ चलती है,उक्त दर्शित सेढा पड़ौसी अनुसार मौके पर विप्रार्थी काविज है। प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि के बेचानपत्र एवं मौका स्थिति अनुरूप तत्कालीन हल्का पटवारी को तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन हल्का पटवारी बेचानपत्र व मौका स्थिति के विपरीत जाकर तरमीम कर दी गई,जिसके कारण प्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि पर विप्रार्थी



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की तरमीम व विप्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि पर प्रार्थीगण की तरमीम दर्शाई गई है, जिसके कारण पक्षकारान के मध्य आए दिन विवाद की स्थिति पैदा रहती है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मौके पर कब्जा कब्जा को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 बेचानपत्र में दर्शित सेढा पड़ौसी अनुरूप ही काबिज है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा मौका कब्जा काश्त स्थिति एवं पंजीबद्ध बेचानपत्र में दर्शित सेढा पड़ौसी को नजर अन्दाज करते हुए विपरीत तरमीम कर दी गई। उक्त अशुद्ध तरमीम किए जाने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गए है। अतं में निवेदन किया कि विवादित आराजी के खसरा संख्या 2209/437 व 2212/437 की विद्यमान तरमीम को निरस्त की जाकर मौका पर कब्जा काश्त एवं बेचानपत्र अनुरूप तरमीम दुरुस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2209/437 क्षेत्रफल 1.5216 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित है। तथा इसी ग्राम की खसरा संख्या 2212/437 क्षेत्रफल 1.5216 हैक्टर भूमि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है तथा वर्तमान रेकॉर्ड अनुसार दोनों ही खेत सेढा सेढा लगते हुए है। प्रार्थीगण का मुख्य उजर है कि विवादित भूमि की बेचानपत्र में दर्शित सेढा पड़ौसी अनुरूप तरमीम नहीं कर विपरीत तरमीम की गई है, जो अशुद्ध होने के कारण मौका पर कब्जा काश्त एवं बेचानपत्र के अनुरूप तरमीम दुरुस्त की जावे। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने इकबाली जवाब में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी के खेत की विद्यमान तरमीम मौका कब्जा काश्त एवं बेचानपत्र में दर्शित सेढा पड़ौसी के अनुरूप नहीं कर उसके विपरीत अशुद्ध तरमीम कर रखी है, जो निरस्त कर मौका कब्जा काश्त एवं बेचानपत्र के अनुरूप तरमीम दुरुस्ती की जाती है, तो विप्रार्थी सहमत है। पत्रावली के संलग्न बेचानपत्र की छायाप्रति अवलोकन से प्रतीत होता है कि तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बेचानपत्र में अंकित सेढा पड़ौसी के अनुरूप विवादित आराजी की तरमीम नहीं कर उसके विपरीत तरमीम की गई है, जिसके कारण उभय पक्षकारान के मध्य तरमीम को लेकर विवाद है तथा उभय पक्षकारान बेचानपत्र के अनुरूप तरमीम दुरुस्ती करवाने पर सहमत भी है। उपर्युक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि विवादित आराजी का भूमिधारक स्वयं मौका मुआयना करते हुए उभय पक्षकारान की उपस्थिति में जांच कर विवादित आराजी की नए सिरे से तरमीम कर। ऐसी सूरत में प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम—असाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2209/437 व 2212/437 की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का आप स्वयं मौका मुआयना करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मौका कब्जा काश्त स्थिति एवं बेचानपत्रो को मध्यनजर रखते हुए विवादित आराजी की नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश नियमानुसार पारित करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22/12/2025 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

